



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273074
CG-DL-E-02062026-273074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2680]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2680]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2773(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में “एम डी एफ टी to एम डी इ एल /एम डी डी टी क्लस्टर” प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है। और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, और स्पेशल उप जिला अधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजमुंदरी एसट / के.जि.बेसिन् गोदावरी भवन, बेस कॉम्प्लेक्स, राजमुंदरी पिन - 533106 आंध्रप्रदेश को लिखित रूप में आपत्ति भेज सकता है।

अनुसूची

आर.ओ.यु.पाइपलाईन : "एम डी एफ टी to एम डी इ एल/ एम डी डी टी क्लस्टर"

मंडल:	गाँव:	ज़िला:डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा	राज्य :आंध्र प्रदेश		
क्रम संख्या	गाँव का नाम	लैंड पर्सेल नम्बर/सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
आलमूर	चित्तलूर	155	0	09	0
		209	0	04	0
		210	0	06	0
		211	0	03	0
		213	0	48	0
		214	0	23	0
		268	0	36	0
		450	0	35	0
		559	0	07	0
		558	0	29	0
		566	0	08	0
699	0	03	0		
योग			2	11	0

[फा. सं. इएक्सपीएल -12027(11)/24/2023-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-47077)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2026

S.O. 2773(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from “**MDFT TO MDEL/MDDT CLUSTER**” a pipelines should be laid in the State of Andhra Pradesh by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

AND whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any Person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to Special Deputy Collector and Competent Authority, Oil & Natural Gas Corporation Ltd., Rajahmundry Asset/K.G.Basin, Godavari Bhavan, Base Complex, Rajahmundry – 533 106, Andhra Pradesh.

SCHEDULE**ROU PIPELINE FROM “MDFT TO MDEL/MDDT CLUSTER/ROU/2026”**

Name of the Mandal	Name of the Village	District: Dr.B.R.Ambedkar Konaseema	State: Andhra Pradesh		
		Land Parcel Number/Survey Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Alamuru	Chintaluru	155	0	09	0
		209	0	04	0
		210	0	06	0
		211	0	03	0
		213	0	48	0
		214	0	23	0
		268	0	36	0
		450	0	35	0
		559	0	07	0
		558	0	29	0
		566	0	08	0
		699	0	03	0
TOTAL			2	11	0

[F. No. Expl-12027(11)/24/2023-EXPL-PNG(E-47077)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.